प्रस्तावना

विहंगावलोकन

टैन या कर कटौती तथा संग्रहण लेखा संख्या एक 10 अंकीय वर्ण-संख्यात्मक संख्या है जिसे ऐसे सभी व्यक्तियों को प्राप्त करना आवश्यक है जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203ए के अंतर्गत कर काटने या संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी हैं. सभी टीडीएस विवरणियों में आयकर विभाग (आईटीडी) द्वारा आबंटित कर कटौती खाता संख्या (टैन) का उल्लेख करना अनिवार्य है.

पिछले कुछ वर्षों में आईटीडी ने टैन की संरचना में संशोधन किया है. यह एक विशिष्ट 10 अंकीय वर्ण-सख्यात्मक कोड है. तदनुसार, उसने सभी मौजूदा टैनधारकों को इस नये फार्मेट में टैन जारी किया है.

अपना नया टैन प्राप्त करने में कटौतीकर्ताओं की सहायता के लिए आईटीडी ने अब अपनी वेबसाइट (www.incometaxindia.gov.in) में एक नई सर्च सुविधा शुरू की है. इस सुविधा के माध्यम से कटौतीकर्ता नया पैन जानने के लिए अपने नाम तथा पुराने टैन पर सर्च कर सकते हैं. कटौतीकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि उनकी ई-टीडीएस विवरणी में इस नये टैन को शामिल करने से पूर्व इस साइट से नये टैन का पता लगा लें ताकि ई-टीडीएस विवरणी प्रस्तुत करते समय कोई असुविधा न हो.

टैन आवेदन के प्रकार

टैन आवेदन दो प्रकार के होते हैं:

- **नया टैन जारी करने के लिए आवेदन (फॉर्म 49बी)**

  इस आवेदन फॉर्म का प्रयोग तब करना चाहिए जब कटौतीकर्ता ने टैन के लिए आवेदन न किया हो या उसके पास टैन नहीं है.

- **आबंटित टैन के लिए टैन डेटा में परिवर्तन या संशोधन के लिए फॉर्म**

  इस आवेदन फॉर्म का उपयोग कटौतीकर्ताओं द्वारा तब किया जाना चाहिए जब वे अपने टैन से संबंधित डेटा में कोई परिवर्तन या संशोधन चाहते हैं.